न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सिंचाई प्रकरण संख्या 02/2013(GCMS No. : 2013/00032)

गोमती देवी पत्नी सुलतानाराम जाति कुम्हार आयु करीहब 68 साल निवासी वीपीओ महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर हिस्सेदार चक 1 एच एच तहसील गंगानगर

बनाम

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.07.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गुरप्रीत सिंह सिद्धू एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सतीश गौसांई को बार आवज़ लगाई गई, परन्तु वे स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि कोई उपस्थिति नहीं हुआ।

हस्तगत प्रकरण दिनांक 07.10.2013 से लगातार एडमिशन के बिन्दु पर बहस एवं दिनांक 14.10.2013 से पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु विचाराधीन चला आ रहा है। पक्षकारों को बार–बार आवाज लगाने पर भी कोई उपस्थित नहीं हुअ। प्रकरण काफी समय से प्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहे है, जिससे प्रतीत होता है कि पक्षकारान् को उक्त प्रकरण को आगे चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए प्रकरण को इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:56 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर